न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी -श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 97/2021 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीनी:–

1.रूखमादेवी पत्नि आदूराम, जाति जाट
निवासी पूनियों का तला (बावड़ीकला)
तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1.तहसीलदार चौहटन
2.भारथा पुत्र मेहका, जाति मेघवाल
निवासी पूनियों का तला (बावड़ीकला)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
3.शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.चौहटन

वकील प्रार्थीनी :– श्री फताराम गोदारा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक 30.11.2021

प्रार्थीनी रूखमादेवी पत्नि आदूराम, जाति जाट, निवासी पूनियों का तला (बावड़ीकला), तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीनी की खातेदारी एवं कब्जासुदा [illegible] (बावड़ीकला), तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 924/3[illegible] है। जिस पर उसके रहवास हेतु ढाणिया, टांके व मवेशि[illegible] है। उसकी उक्त [illegible]र आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थी[illegible] की जोत के चारों अ[illegible] काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीनी अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:47:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थीनी को अपनी जोत से आने जाने के लिए विप्रार्थी सं. 1 भूमि खसरा सं. 925/361 रकबा 30.08 बीघा एवं विप्रार्थी सं. 02 के खसरा सं. 926/361 रकबा 38.00 बीघा में रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थी सं. 1 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीनी वकील के निवेदन पर चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन का लिखा गया। प्रार्थीनी वकील ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते आवेदन संशोधित करने का पेश किया। जिसे स्वीकार किया गया। प्रार्थीनी वकील ने संशोधित आवेदन पेश किया। विप्रार्थी सं 02 की ओर से अधिवक्ता श्री ठाकराराम ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया।

प्रार्थीनी वकील ने प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का पेश कर संशोधित आवेदन के अनुसार मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवदेन किया। विप्रार्थी सं. 2 के वकील को इसमें कोई आपति नहीं है। विप्रार्थी सं. 2 के वकील का कहना है कि उसके खेत से प्रार्थीनी को रास्ता दिया जाता है तो उसे कोई आपति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का स्वीकार करते हुए तहसीलदार चौहटन को चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के कैम्प बावड़ीकला में पेश हुई। प्रार्थीनी मय वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं. 2 उपस्थित। प्रार्थीनी के वकील ने निवेदन किया कि तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थीनी को रास्ता के अत्यांतिक आवश्यकता है, अतः प्रकरण का निस्तारण किया जावे। विप्रार्थी सं. 2 को सुना गया। विप्रार्थी सं. 2 को मौका रिपोर्ट स्वीकार है। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीनी की [illegible] प्रार्थीनी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीनी को [illegible] है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:47:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	925/361	30.08	बा.सो.	13 फीट	00.05	पूनियों का तला (बावड़ी कला)	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन चालू पड़त
2.	926/361	38.00	बा.सो.		01.00		भारथा पुत्र मेहकाराम कौम मेघवाल,सा.खातेदार

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीनी द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 925/361 एवं 926/361 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है उक्त रास्ता प्रार्थीनी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीनी द्वारा देय होगी और प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से चौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसके आधार पर प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:47:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीनी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 13 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीनी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीनी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीनी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीनी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 13 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि केवल उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीनी को उक्त 13 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:47:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीनी को नया तथा 13 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 30.11.2021 को दिया जाता है। तहसीलदार प्रस्तुत मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के कैम्प बावड़ीकला में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथ राम ।।)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:47:39 IST
Reason: SelfAttested

आखिरी नकल नक्शा (किश्तवार)
मौजा - [illegible]
[illegible]

Ex-Count

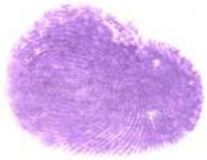

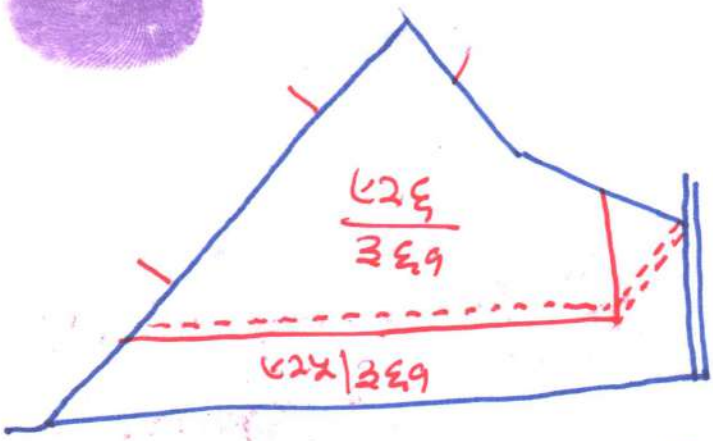

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

संकेत: [illegible]

खसरा नं. $\frac{926}{361}$ [illegible]

खसरा नं. $\frac{925}{361}$ [illegible]

2540 दिनांक 28.10.2021
क्रमांक ... नकल जारी की गई।
प्रतिलिपि

तहसीलदार चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:47:39 IST
Reason: SelfAttested